

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक: प.8(26)राज/वाद/19पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 22-04-2022.

:: आदेश ::

निम्नांकित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण की सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

क्र० सं०	नाम अभियोजक	पद नाम	सेवा वृद्धि
1	2	3	4
1	श्री राजेश श्योराण	विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो सं. 01, जयपुर महानगर-प्रथम	दिनांक 01.11.01 से 31.07.22 तक
2	श्री अब्दुल मजीद खिलजी	अपर लोक अभियोजक, एवं राजकीय अभिभाषक, फलोदी जिला जोधपुर	दिनांक 01.08.21 से 31.07.22 तक (भविष्य में सफलता प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ)

आज्ञा से


ह०

(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलेक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, सच्चय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


22/4/22
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण